न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुनील पंवार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या– 94/2020 राजस्व प्रार्थनापत्र

अनवान

1 बसन्ती बाई पत्नि स्व. जगदीश ब्राहमण उम्र–वयस्क निवासी कनेछनकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

2 बाला पुत्री जगदीश ब्राहमण उम्र–वयस्क निवासी कनेछनकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

3 सुधा पुत्री जगदीश ब्राहमण उम्र–वयस्क निवासी कनेछनकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

4 सुभाष चन्द्र पिता जगदीश ब्राहमण उम्र–वयस्क निवासी कनेछनकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

5 सुशीला पुत्री जगदीश ब्राहमण उम्र–वयस्क निवासी कनेछनकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

.... प्रार्थीगण

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

..... अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थित :::– **प्रार्थीगण अधिवक्ता–––– श्री शिवराज शर्मा**
विपक्षी राज्य पक्ष –––– पेरोकार सरकार

–:: निर्णय ::–

दिनांक 15.01.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी/प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन दिनांक 28.09.2020 को प्रस्तुत किया।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा कनेछनकलां पटवार मण्डल कनेछनकलां तहसील फुलियाकलां स्थित खतौनी संख्या 1391 के आराजी संख्या 6125/746, 6127/747, 6129/750, 749 किता 4 रकबा 0.17 हैक्ट. व खाता संख्या 1392 के आराजी संख्या 2937, 2938, 2939, 760, 761 किता 5 रकबा 1.60 हैक्ट. भूमि प्रार्थीगण के पक्ष में संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है, एवं प्रार्थीगण के स्वयं की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से अडौस–पडौसीयों से मिन्नत करके अपनी स्वयं की आराजीयात तक पहुंचना पडता है। प्रार्थीगण शुरूवात से विपक्षी राज्य पक्ष की बिलानाम भूमि में से होकर आता जाता रहा है। परन्तु अब अप्रार्थी द्वारा रूकावट उत्पन्न किये जाने से प्रार्थीगण ने विपक्षी की बिलानाम

उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकलाँ (भीलवाड़ा) राज

आराजी संख्या 745, 752, 747/5820, 748/5822, 753, 760/5876 में से नवीन रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

अतः प्रार्थीगण प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात में पहुंच हेतु विपक्षी के हक स्वामित्व की आराजी संख्या 745, 752, 747/5820, 748/5822, 753, 760/5876 में सें 20 फिट का नवीन रास्ता कायम किया जावें।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 29.09.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन/नोटिस मामले में वजह जाहिर करने हेतु तलब किया गया। विपक्षी को जारी सम्मन/नोटिस विधिवत तामील हो, लौटकर प्राप्त हुए। इसी दौरान पत्रावली को 'रास्ता खोलो अभियान वर्ष 2020' शिविर मुख्यालय में पंजीबद्ध किया गया। नियत शिविर सुनवाई दिनांक 15.01.2021 पर विपक्षी राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां केम्प न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने में अपनी और से कोई उजर/आपत्ति नही होना व्यक्त करते हुए प्रमाण में उनके द्वारा बतौर ईकबालिया जवाब प्रस्तावित रास्ता वर्तमान मौका रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रेकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, नवीन रास्ता कायमी हेतु तहसीलदार फुलियाकलां मार्फत हल्का पटवारी व भू.अ.निरीक्षक फुलियाकलां से तरतीब दिया पर्चा मौका, रिपोर्ट पटवारी हल्का प्राप्त होकर रेकार्ड पर लिया गया।

हमने प्रकरण में तहसीलदार फुलियाकलां व हल्का पटवारी के संयुक्त परिक्षण पश्चात प्रस्तुत वैकल्पिक रास्ता कायमी बाबत पेश की गई रिपोर्ट का अध्ययन/अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी की मौजा कनेछनकलां पटवार मण्डल कनेछनकलां तहसील फुलियाकलां स्थित बिलानाम आराजी संख्या 752 रकबा 0.03 हैक्ट. भूमि की रास्ता कायमी हेतु आवश्यकता होगी।

राज्य सरकार द्वारा नवीन सन्दर्भ में जारी आदेश अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन सम्बन्धी नया कानून बनाने के पीछे स्पष्ट अभिमन्शा है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावें। यह रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। परन्तु तहसीलदार फुलियाकलां मार्फत हल्का पटवारी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रार्थीगण को केवल मात्र 00.03 हैक्टयर यानि 300 वर्गमीटर का ही रास्ता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पैश हुए है। इस प्रकार अप्रार्थी को न्यूनतम असुविधा का ध्यान रखते हुए आराजी संख्या 752 रकबा 00.03 हैक्टयर (300 वर्गमीटर) रास्ता प्रस्तावित हुआ है। सुखाचार अधिनियम में भी स्पष्ट है कि यदि खातेदार को पडौसी खातेदारों की भूमि में से रास्ता नही उपलब्ध कराया गया तो प्रार्थीगण को खेती के कार्य से महरूम रहना पड सकता है।

उपखण्ड अधिकारी
फुलियाकलां (भीलवाड़ा) राज.

हमनें पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन एवं अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा 20 फिट रास्ता चाहा गया था, एवं उसी क्रम में अप्रार्थी को न्यूनतम असुविधा हो तथा अप्रार्थी की कम से कम कृषि भूमि प्रभावित हो इस हेतु हल्का पटवारी द्वारा मौजा कनेछनकलां पटवार मण्डल कनेछनकलां तहसील फुलियाकलां स्थित बिलानाम आराजी संख्या 752 रकबा 0.03 हैक्ट. (300 वर्गमीटर) नजरी नक्शा अनुसार प्रस्तावित है। साथ ही 'रास्ता खोलो अभियान' के अन्तर्गत आयोजित शिविर दिनांक 15.01.2021 पर विपक्षी द्वारा प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने में, कोई उजर/आपत्ति व्यक्त नही कर, सहमति स्वरूप उनके द्वारा बतौर ईकबालिया जवाब प्रस्तावित रास्ता मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है इसलिए नवीन रास्ता कायमी हेतु यह प्रकरण स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने के आदेश दिये जाकर मौजा कनेछनकलां पटवार मण्डल कनेछनकलां तहसील फुलियाकलां स्थित बिलानाम आराजी संख्या 752 रकबा 0.03 हैक्ट. (300 वर्गमीटर) भूमि नवीन रास्ता कायमी के लिए आज्ञा पारित की जाती है। तहसीलदार फुलियाकलां को हल्का पटवारी द्वारा तैयार प्रस्ताव एवं नजरी नक्शा नवीन रास्ता कायमी हेतु भिजवाया जावें।

—::आदेश::—

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थी सहमति से इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम कनेछनकलां पटवार मण्डल कनेछनकलां तहसील फुलियाकलां स्थित बिलानाम आराजी संख्या 752 रकबा 0.03 हैक्ट. (300 वर्गमीटर), भूमि मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा रास्ता कायम किया जाकर तद्नुसार रेकार्ड में अमल–दरामद तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा किया जावें। यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी (आराजी संख्या 752 के वर्तमान खातेदार भूमिधारी) के पक्ष में अर्थात राज्य कोष में तहसीलदार फुलियाकलां के यहां प्रचलित डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टयर अनुसार रकबा 00.03 हैक्टयर (300 वर्गमीटर) मालियत राशि की दोगुनी राशि (00.03 हैक्टयर की) राज्य कोष में जमा करा दी जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 15.01.2021 को 'रास्ता खोलो अभियान' केम्प कोर्ट के सरे ईजलास में सुनाया गया।

(सुनील पंवार)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
फुलियाकलां (भीलवाड़ा) राज.